

बाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

निवेदन है कि ग्राम लालगोव जमाबंदी सं 2013-76 के खाता सं 63, 93, 99, 203, 219, 220, 223, 249 को खोदसान/वादीगण के पिता/पति/हिरसा/जाति/निवासी में मूलत इन्द्राज/शिपीकीय चुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

शु. प्रबंध खतोनी खाता सं.	शु. प्रबंध खतोनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ चुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
1.	जादीश पि. चन्द्रया	63	जादीश पुत्र चन्द्रया	जादीश पुत्र रामचंद्र
2.	" "	93	" "	पदनागर
3.	" "	99	" "	" "
4.	" "	203	" "	" "
5.	जादीश पि. चन्द्रया	219	" "	" "
6.	जादीश पि. चन्द्रया	220	" "	" "
7.	" "	223	" "	" "
8.	" "	249	" "	" "

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

- जादीश पुत्र रामचंद्र धामर लालगाव
- जादीश पुत्र रामचंद्र धामर लालगाव
- बलनालाल पुत्र मथुराबाबू धामर लालगाव
- भगवानसिंह पुत्र बालाराम धामर लालगाव

(वाकए)
(वाकए)

हस्ताक्षर
जादीश (पुत्री)
जादीश
धामर लालगाव
भगवानसिंह

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्राथी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम लालगोव के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आग में ली गई जानकारी /शु. प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदनुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

रिपोर्ट शु0अभिलेख निरीक्षक

हस्ताक्षर पटवारी
10M0
शालीपुत्र

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्धि किये जाने योग्य है।



15/07/25
शु0अभिलेख निरीक्षक
शु0अभिलेख निरीक्षक

Reader

3

कमांक: LR / 2025 / 728 रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

दिनांक: 16/07/25

सझेदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अगिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम.....लालगांव..... के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

16/07/25
तहसीलदार/नायब तहसीलदार

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

कमांक: राजस्व न्यायालय/2025/190

दिनांक 26/09/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम लालगांव..... के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज का तहसीलदार...सुनेल..... की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार...सुनेल.....को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

Yamp
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0